संख्या-8/2015/931(1)/77-4-15-100एन./14

प्रेषक,

देवी प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री ज्ञान चन्द्रा,
एच.जे.एस. (सेवानिवृत्त),
सी.-849, सैक्टर-सी,
महानगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 29 अप्रैल, 2015

विषयः **श्री यादव सिंह (निलम्बित), तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, नौएडा, एवं तत्कालीन महाप्रबंधक, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के विरूद्ध कथित अनियमितताओं के संबंध में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जाॅच आयोग में नियुक्त सचिव की सेवा शर्तें।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-460(1)/ 77-4-15-100एन/ 14, दिनांक 25.02.2015 के क्रम में राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि श्री ज्ञान चन्द्रा, एच0जे0एस0 (रिटा0), सी-849 सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ को जाॅच आयोग का सचिव का पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 25.02.2015 से आयोग का कार्यभार समाप्त होने तक की अवधि के लिए सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-520 के अन्तर्गत पुनर्योजित समझा जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में श्री ज्ञान चन्द्रा को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये अथवा पुनर्योजित पद वेतनमान के अधिकतम जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पेंशन पर पृथक से राहत अनुमन्य न होगी। पुनर्योजन की अवधि पेन्शन आगणन हेतु अनुमन्य न होगी। श्री ज्ञान चन्द्रा की पुनर्योजन की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगीः-

(1) श्री ज्ञान चन्द्रा की पुनर्योजन की अवधि में अवकाश अस्थायी राज्य कर्मचारियों पर लागू नियमों के अधीन देय होगा। पुनर्योजन की अवधि में उन्हें नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जायेगी।

(3) पुनर्योजन की अवधि की समाप्ति के उपरान्त कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(4) पुनर्योजन की अवधि में उन्हें पेन्शन पर मंहगाई राहत या अस्थायी वृद्धि (तदर्थ वृद्धि) आदि कोई हो, देय नहीं होगी।

(5) सेवानिवृत्ति के पूर्व की अवधि में शासन द्वारा भुगतान की गयी धनराशि, जिसमें यह धनराशि सम्मिलित है, जो उकने सरकारी सेवा में न रहने के कारण बट्टे खाते में डाल दी गयी हो, पर यह

http://bhasanadesh.up.nic.in/go

धनराशि सम्मिलित नहीं है, जो कठिनाई (हार्डशिप) के आधार पर बट्टेखाते में डाली गयी हो, पुनर्योजन की अवधि में देय वेतन तथा भत्ते में समयोजन द्वारा वसूल की जा सकेगी।

(6) उनकी सेवाएं पुनर्योजन अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है व जिस पद पर उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है वह भी निर्धारित अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

(7) उनकी अन्य सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन होगी।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के सुसंगत लेखा शीर्षक से वहन किया जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-3-376/ दस-15 दिनांक 13.04.15 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
7. जिलाधिकारी, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. न्याय (लेखा) अनुभाग-1
10. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/ 2/ 3
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/ 12
12. एम0एस0एम0ई0 अनुभाग-3/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. नियुक्ति अनुभाग-4
14. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go